संचालक (प्रशासन)

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
59, अरेरा हिल्स, जेल रोड़,नर्मदा भवन,
भोपाल

सूचना के अधिकार अधिनियम –2005 के अंतर्गत

सूचना – पुस्तिका

अध्याय–1

1.1 हस्त पुस्तिका की पृष्ठ भूमि :–

मुख्य अभियंता (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी जन साधारण को देने के उद्देश्य से एंव विभाग से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया इस हस्त पुस्तिका के रूप में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्रकाशित की जा रही है ।

1.2 हस्त पुस्तिका का उद्देश्य :–

इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य मूलतः अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में उल्लेखित प्रावधनों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर नागरिकों को अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों, उनकी शक्तियों एवं कर्तव्य आदि की जानकारी उपलब्ध कराया जाना है ।

1.3 व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों जिनके लिये हस्त पुस्तिका उपयोगी है :–

हस्त पुस्तिका निम्न के लिये उपयोगी रहेगी ।

1. आम नागरिकों के लिये ।
2 शोधार्थी एवं शोध संस्थाओं के लिये ।
3. वित्तीय संस्थाओं के लिये।
4. अन्य प्रशासकीय संस्थाओं के लिये ।
5. उद्योग एवं व्यापार समूह के लिये ।

1.4 हस्त पुस्तिका का प्रारूप :–

हस्त पुस्तिका 18 अध्यायों में विभाजित है और मुद्देवार जानकारी प्रत्येक अध्याय में विभिन्न उपखण्डों में विभक्त होकर प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करती है ।

1.5 परिभाषायें :–

इस पुस्तिका में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का आशय उस शासकीय इकाई से है जो म.प्र.शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग से संबंधित है एवं जिसका अंग है ।

1.6 हस्त पुस्तिका में जानकारी एवं अन्य जानकारी के लिये सम्पर्क व्यक्ति :–

हस्त पुस्तिका में जानकारी एवं अतिरिक्त जानकारी हेतु नामांकित लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से सर्म्पक किया जा सकता है ।

1.7 हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क :–

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–27 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार हस्त पुस्तिका मे उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना की जानकारी दी जा सकेगी । संक्षेप में धारा 27 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिये 10 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन (संलग्न प्रपत्र–एक अनुसार) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा।
2. जहां सूचना की पहुंच छपे हुये (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रानिक रूप/फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है, वहां ए–3/ए–4 साइज कागज की फोटो कापी हेतु रूपये दो प्रति पृष्ठ तथा यदि इससे बडे कागज पर सूचना की फोटो प्रति उपलब्ध कराना है, तो ऐसी सूचना की वास्तविक लागत जैसा कि यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा।
3. यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस प्रयोजन के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा और आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है उसके लिये प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिये रूपये 50/– (रूपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनिट अथवा उसके भाग के लिये 25/– (रूपये पच्चीस) नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में प्रभारित किये जायेंगें।
4. यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत, आवेदक ऐसे अधिकारी को जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये,नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।
5. जहां ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी में उपलब्ध कराने हेतु रूपये पचास प्रति डिस्केट या फ्लापी तथा जहॉ सूचना टेप या विडियो कैसेट में उपलब्ध करानी हो, वहॉ टेप या वीडियो केसेट की वास्तविक लागत जैसा की राज्य लोक सूचना अधिकारी या

राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, आवेदक द्वारा नकद में या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा की जायेगी।

6. प्रथम अपील शुल्क रूपये 50 (रूपये पचास मात्र) तथा द्वितीय अपील शुल्क रूपये 100 (रूपये सौ मात्र) जमा किया जाना है । गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है। सूचना उपलब्ध कराने के लिये फीस समुचित रसीद के विरूद्ध नगद अथवा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है ।

———————————

प्रपत्र–एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के अंतर्गत आवेदन प त्र का प्रारूप)

1 आवेदक का नाम——————————————————————————————
2 पूरा पता/ई–मेल/फैक्स /जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है ————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
3 दूरभाष क्रमांक———————————————————————————————
4 आवेदन देने का दिनांक ——————————————————————————
5 कार्यालय का नाम —————————————————————————————
6 चाही गई जानकारी का विवरण————————————————————————

7 क्या चाहते है–नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना

8 आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी–रूपये 10/– नगद/स्टाम्प
(वीपीएल सूची के सदस्य को देय नही)
रसीद क्रमांक —————————एवं दिनांक——————————————

9 क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं– हॉ /नहीं
यदि हॉ तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक——————————————————

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीपः–यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/– का नान ज्यूडिशीयल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक——————————————————————
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक————————
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहॉ से जानकारी उपलब्ध होगी——————————
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

दिनांक............................

अध्याय–2

2.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उद्देश्य :–

2.1.1 ध्येय :–

(1) नर्मदा जल के मध्यप्रदेश के राज्य अंश 18.25 मिलियन एकड़ फुट पानी का दिसम्बर, 2024 तक उपयोग करने में सहायता करना, जैसा कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है।

(2) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत (वर्ष 2012) तक 11.36 मिलियन एकड़ फीट जल के उपयोग से 14.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता तथा लगभग 3000 मेगावाट स्थापित जल विद्युत क्षमता निर्माण करने के लिये 29 वृहद परियोजनाओं एवं अंतराज्यीय सरदार सरोवर परियोजना तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करना (नर्मदा घाटी की मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत है)

2.1.2 उद्देश्य–I

जल विद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा प्रभाग को व्यवसायिक उपक्रम के रूप में कियान्वित करना।

उद्देश्य–II

नर्मदा घाटी के मध्यप्रदेश के हिस्से की समस्त वृहद् सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करना।

उद्देश्य–III

नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं के सिंचाई एवं ऊर्जा प्रभागों को कियान्वित करने के लिये म0प्र0शासन के अंश को न्यूनतम रखते हुये बाह्य वित्तीय संसाधन जुटाना।

उद्देश्य–IV

बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के ऊर्जा प्रभाग तथा जल विद्युत परियोजनाओं का संयुक्त उपक्रम, निजीकरण आदि के माध्यम से व्यवसायिकरण करने हेतु कदम उठाना।

2.2 प्राधिकरण का विजन (Vision)

चूंकि वृहद् परियोजनाओ के अन्तर्गत सिंचाई का विकास एवं वास्तविक जल का उपयोग होने में 10 से 12 वर्षों का समय लगता है। अतः नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जो विजन 2012 बनाया गया है उसके अनुसार नर्मदा घाटी की सभी 29 वृहद् परियोजनायें तथा अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (वर्ष 2012) तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 14.17 लाख हेक्टेयर में 11.36 मिलियन एकड़ फीट जल के उपयोग से सिंचाई क्षमता तथा लगभग 3000 मेगावाट स्थापित जल विद्युत क्षमता निर्मित होगी।

जल विद्युत परियोजनायें पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर क्रियान्वित की जायेगी तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिये राज्य के बाहर के स्त्रोंतों से अधिक से अधिक ऋण प्राप्त कर (जैसे नाबार्ड, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ए.आय.बी.पी. इत्यादि) इनका क्रियान्वयन किया जायेगा।

पांच वृहद् परियोजनायें (तवा, बारना, सुकता, कोलार एवं मटियारी) पूर्ण हो गई है। शेष वृहद् परियोजनाओं को पूर्ण करने के वर्ष तालिका (1) में दर्शाये गये है।

तालिका (1)
नर्मदा कछार की वृहद् परियोजनायें

निर्माणाधीन वृहद् परियोजनायें :—

स क	नाम	लागत	सिंचाई क्षमता / हेक्टे.	बिजली	मछली	टीप
1.	इंदिरा सागर बांध. पॉवर हाउस	5368.81 करोड	———	1000 मेगावाट (2698 मिलीयन यूनिट प्रतिवर्ष)	1500 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	कार्य पूर्ण, बिजली उत्पादन आरंभ
	इंदिरा सागर केनाल बेड पावर हाउस	61.61 करोड़	———	15 मेगावाट		निर्माणाधीन, लक्ष्य 2006—07
	इंदिरा सागर नहरें	1522.00 करोड	1 लाख 23 हजार खण्डवा, खरगोन, बडवानी जिले (2.70 लाख हे. वार्षिक)	———		निर्माणाधीन, कुल 250 किमी. मुख्य नहर, लक्ष्य 2009
2.	ओंकारेश्वर बांध. पॉवर हाउस	2224.74 करोड़	———	520 मेवा. (1167 मिलि. यूनिट प्रतिवर्ष)	360 मेट्रिक टन प्रतिवष	निर्माणाधीन, लक्ष्य 2007
	ओंकारेश्वर केनाल बेड पॉवर हाउस	25.0 करोड	———	5 मेगावाट		लक्ष्य 2008
	ओंकारेश्र परियोजना नहरें	1314.17 करोड	1 लाख 47 हजार खरगोन, खण्डवा, धार जिले (2.83 लाख हे वार्षिक)	———		निर्माणाधीन, 10.64 किमी. कामन / 53. 36 किमी. एलबीसी, 142 किमी आरबीसी,

						83 किमी उद्वहन नहर, लक्ष्य 2010
3.	रानी अवंती बाई सागर बांध. पॉवर हाउस	380.21. 122.05 त्र 502.26 करोड	———	90 मेगावाट	166 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	पूर्ण/विद्युत उत्पादन आरंभ
	आर.ए.बी.एस. केनाल बेड पावर हाउस	52.00 करोड	———	10 मेगावाट		निर्माणाधीन, लक्ष्य 2006
	आर.ए.बी.एस. एल. बीसी. (बांयी मुख्य नहर)	1012.63 करोड (कुल 1514.89 करोड)	1 लाख 57 हजार जबलपुर, नरसिंहपुर जिले (2 लाख 19 हजार 800 हे वार्षिक)	———		निर्माणाधीन, कुल 111 किमी. मुख्य नहर, लक्ष्य 2006
	बरगी आर.बी.सी दांयी मुख्य नहर (बरगी डायवर्सन)		2 लाख 45 हजार जबलपुर, कटनी सतना, रीवा जिले (3 लाख 76 हजार 510 हे. वार्षिक)	———		निर्माणाधीन, 194 किमी. मुख्य नहर / शाखा नहरें 2700 किमी., लक्ष्य 2012
4.	मान परियोजना	142.07 करोड	15 हजार धार जिले (वार्षिक सिंचाई 19,200)	———	46 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	बांध पूर्ण, नहरें निर्माणाधीन, लक्ष्य 2006
5.	जोबट परियोजना	117.45 करोड	9 हजार 8 सौ 48 धार जिला (वार्षिक सिंचाई 12 हजार 507)	———	42 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	निर्माणाधीन, लक्ष्य 2007
6.	पुनासा उद्वहन	185.30 करोड	32 हजार 300 सौ खण्डवा जिला	———		लक्ष्य 2012
7.	अपर बेदा	87.86 करोड	9 हजार 9 सौ/खरगोन जिला	———		निर्माणाधीन, लक्ष्य 2007
8.	महेश्वर हायडल	824 करोड	———	400 मेगावाट	200 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	लक्ष्य 2007
9.	सरदार सरोवर परियोजना बांध. पॉवर हाउस (नदी तल) सरदार सरोवर केनाल बेड पावर हाउस		18 लाख 62 हजार (गुजरात), 73 हजार हे. (राजस्थान), म0प्र0 को सिंचाई लाभ नहीं	1200 250	600 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष	कुल 1450 मेवा म0प्र0 57ः (826.5 मेवा.), गुजरात 16ःए महाराष्ट्र 27ःए 6 मे से तीन इकाईयां पूर्ण, बिजली उत्पादन आरंभ, लक्ष्य 2006 कार्य पूर्ण, बिजली उत्पादन आरंभ
	मध्यप्रदेश का हिस्सा	3136 करोड (मध्यप्रदेश का हिस्सा)		826.5 मेगावाट		
	योग	**19,180.40 करोड**	**7 लाख 6 हजार 700**	**2866.50 मेगावाट**	**2914 मे. टन**	

टीपः— पांच वृहद् सिंचाई परियोजनायें (तवा, बारना, सुकता, कोलार एवं मटियारी) पूर्ण हो गई है। शेष 16 वृहद् परियोजनायें 11 वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य है। (राघवपुर, रोसरा, बसानिया, सीतारेवा, अपर नर्मदा, अपर बुढनेर,हालोन, अटारिया, शेर, मच्छरेवा, शक्कर, दूधी, चिंकी, मोरण्ड, गंजाल एवं लोअर गोई)।

2.3 संक्षिप्त इतिहास और प्राधिकरण के गठन का प्रसंग

2.3.1 नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। यह नदी तीन राज्यों (मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात) से बहती है लेकिन इसकी लंबाई जलग्रहण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ढलान इत्यादि मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। आकडें नीचे दिये गये है।

(अ) नर्मदा नदी की लम्बाई —	(1) मध्यप्रदेश	— 1077 कि.मी.
	(2) महाराष्ट्र	— मध्यप्रदेश के साथ 35 किमी. एवं गुजरात के साथ 39 कि. मी. कुल 74 कि.मी.
	(3) गुजरात	— 161 कि.मी
	कुल	— **1312 कि.मी.**
(ब) जल गृहण क्षेत्र —	(1) मध्यप्रदेश	— 85859 वर्ग कि.मी.
	(2) महाराष्ट्र	— 1538 वर्ग कि.मी.
	(3) गुजरात	— 11399 वर्ग कि.मी.
	कुल	— **98796 वर्ग कि.मी.**
(स) कृषि क्षेत्र —	(1) मध्यप्रदेश	— 57.5 लाख हेक्टेयर
	(2) महाराष्ट्र	— 0.4 लाख हेक्टेयर
	(3) गुजरात	— 6.1 लाख हेक्टेयर
	कुल	— **64.0 लाख हेक्टेयर**
(द) नदी मे ढलान —	(1) मध्यप्रदेश	— 990 मीटर
	(2) महाराष्ट्र	— 31 मीटर
	(3) गुजरात	— 35 मीटर
	कुल	— **1056 मीटर**

2.3.2 नर्मदा जल विवाद :—

गुजरात राज्य द्वारा नर्मदा में उपलब्ध अधिकतर जल का उपयोग गुजरात में करने के उद्देश्य से एक बडा बांध नर्मदा पर बनाने हेतु नया गुजरात राज्य 1960 में बनते ही प्रयास प्रारम्भ किये थे। ऐसे बांध से मध्यप्रदेश में डूब फैलने की तथा मध्यप्रदेश में बनने वाले प्रस्तावित बांधों पर उसका विपरीत असर होने की सम्भावना देखते हुये मध्यप्रदेश राज्य की ओर से इसका विरोध किया गया। गुजरात राज्य द्वारा यह मसला अंतराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के

अन्तर्गत न्यायाधिकरण को सौंपने का केन्द्रीय शासन को प्रस्ताव अगस्त 1968 में प्रेषित किया। इसमें प्रस्तावित नवागाम बांध (बाद में इसका नामकरण सरदार सरोवर किया गया) की ऊंचाई 530 फीट एवं 22.3 एमएएफ जल का गुजरात में उपयोग प्रस्तावित थे। नर्मदा न्यायाधिकरण का गठन केन्द्रीय शासन द्वारा अक्टुबर 1969 में किया गया एवं उसका अंतिम निर्णय दिसम्बर 1979 में दिया गया। न्यायाधिकरण द्वारा सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 455 फीट (138.68 मीटर) तय की गई तथा 860 फीट ऊंचे इंदिरा सागर बांध को सरदार सरोवर बांध के साथ–साथ या उसके पूर्व बनाने के मध्यप्रदेश को निर्देश दिये।

2.3.3 जल का राज्यों में बंटवारा :–

नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा दिसम्बर 1979 के निर्णय से चार राज्यों में नर्मदा के जल का बंटवारा निम्नानुसार किया :–

राज्य	**–**	**जल की मात्रा (मिलियन एकड़ फीट)**
मध्यप्रदेश	–	18.25
गुजरात	–	09.00
राजस्थान	–	00.50
महाराष्ट्र	–	00.25
योग	**–**	**28.00**

उक्त आवंटन की समीक्षा 45 वर्षों के पश्चात की जा सकेगी एवं यह संभव है कि जो राज्य आवंटित जल का उपयोग नहीं कर पायेगा उसका हिस्सा अन्य राज्य को आवंटित कर दिया जायेगा। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुये मध्यप्रदेश राज्य ने 18.25 मिलियन एकड फीट जल का उपयोग वर्ष 2025 तक करने का निश्चय किया।

2.3.4 नर्मदा के जल संसाधनों के उपयोग के लिये संगठन :–

(i) मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एमएएफ जल का उपयोग करने के लिये 29 वृहद् 135 मध्यम एवं 3000 से अधिक लघु सिंचाई परियोजनायें मास्टर प्लान (1972) में प्रस्तावित की गई है। नर्मदा की वृहद् परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा अलग नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन जुलाई 1981 में किया गया। लगभग 20,000 करोड रूपये की लागत की नर्मदा की वृहद् परियोजनायें निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रथम समस्या थी।

(ii) वर्ष 1981 से ही नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के प्रयास आरंभ किये गये थे प्रारम्भिक परीक्षण में विश्व बैंक दल द्वारा परियोजनाओं के विस्तृत प्रतिवेदन बनाने के लिये नर्मदा प्लानिंग एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया गया। तद्नुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.

1982 में नर्मदा प्लानिंग एजेंसी का गठन करने का निर्णय लिया गया। जिसमें मुख्य बातें निम्नानुसार थी :–

(अ) अभिकरण का अध्यक्ष, इंजिनियर, अर्थशास्त्री अथवा व्यापक प्रशासनिक अनुभव रखने वाला अधिकारी हों।

(ब) अभिकरण में निम्न विषयों के विशेषज्ञ (अधीक्षण यंत्री स्तर या ऊपर) सम्मिलित किये जावेंगें एवं इनके अंतर्गत कोष्ठ गठित किये जावेंगें।

1. सिंचाई
2. जल विद्युत
3. कृषि
4. सांख्यकी
5. पर्यावरण
6. वन
7. सिस्टम इंजीनियरिंग
8. वित्त
9. अर्थशास्त्र

(स) अभिकरण का स्वरूप आवश्यकतानुसार अभिकरण के अध्यक्ष के अनुशंसा पर बढ़ाया या परिवर्तित किया जावेगा। इस संबंध में अध्यक्ष को और अभिकरण को पर्याप्त शक्तियों का डेलिगेशन किया जावेगा।

(द) अभिकरण स्वीकृत पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा देश में उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा नर्मदा घाटी विकास संबंधी विशेष अध्ययन करवाने की शासन से अनुशंसा करेगा।

(iii) नर्मदा प्लानिंग एजेंसी द्वारा अक्टूबर 1982 से कार्य आरम्भ किया गया तथा विश्व बैंक दल को प्रस्तुत करने के लिये उच्चस्तर के प्रतिवेदन बनाने की प्रक्रिया में देश में उपलब्ध सलाहकारों तथा विशेषज्ञों से विभिन्न अध्ययन करवाये गये। वर्ष 1983 में नर्मदा प्लानिंग एजेंसी को स्वशासी निगम में बदलने हेतु एक प्रारूप अधिनियम बनाया गया था लेकिन उस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

(iv) विश्व बैंक दल द्वारा नर्मदा सागर काम्पलेक्स का प्राथमिक अप्रेजल के पक्ष्चात परियोजनाओं के निर्माण के लिये नर्मदा प्लानिंग एजेंसी को परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया। उनका निश्चित मत था कि नर्मदा घाटी का बेसिन प्लान बनाकर परियोजनाओं का निर्माण एक निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत करने हेतु विशिष्ठ संगठन आवश्यक है। यह आवश्यक समझा गया था कि जो संगठन नर्मदा घाटी विकास हेतु बनाया जाये उसमें निम्नांकित कार्य के लिये इकाईयां सम्मिलित की जायें :–

1. बेसिन प्लान एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये इकाई।
2. परियोजनाओं के निर्माण के लिये इकाई।
3. विस्थापितों को पुनर्बसाहट हेतु इकाई।
4. परियोजनाओं के मानिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिये इकाई।
5. परियोजना के रखरखाव के लिये इकाई।

6. इन इकाईयों तथा संबंधित अन्य विभागों के कार्य का उत्तरदायी समन्वय हेतु रचना।

(v) वृहद् परियोजनाओं से नर्मदा घाटी का विकास करने हेतु संगठन किस प्रकार का हो इस पर काफी विचार विमर्श किया गया एवं विश्व बैंक से भी सुझाव प्राप्त हुये। यह निर्णय लिया गया कि एक प्राधिकरण अधिकारी स्तर का शासन का अंग हो तथा प्राधिकरण के कार्य का नियंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित मंत्री स्तर के नियंत्रण मण्डल द्वारा हो। 16 जुलाई 1985 के संकल्प से नर्मदा प्लानिंग एजेन्सी को बहुआयामी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया गया तथा पद निर्माण करने, सलाहकारों को नियुक्ति करने या सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति देने के अधिकार प्राधिकरण को दिये गये। बजट पुनर्विनियोजन तथा प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार स्वीकृति सीधे महालेखाकार को प्रसारित करने के अधिकार भी प्राधिकरण को दिये गये। प्राधिकरण के कार्य पर निगरानी रखने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मण्डल का भी गठन किया गया। प्राधिकरण में प्रथमतः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 4 सदस्य (अभियांत्रिकी/ऊर्जा/वित्त/योजना) थे। बाद में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये सदस्य (पुनर्वास) एवं सदस्य (पर्यावरण एवं वन) भी सम्मिलित किये गये। इसी बीच विश्व बैंक द्वारा मई 1985 में अन्तर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना को सहायता देने हेतु भारत शासन, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र से अनुबंध किया गया। इंदिरा सागर परियोजना का मूल्यांकन भी विश्व बैंक दल द्वारा अक्टूबर 1985 में किया गया था लेकिन भारत शासन की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से सहायता देने का अनुबंध नहीं हो सका। इंदिरा सागर के लिये पर्यावरण संबंधी स्वीकृति भारत शासन द्वारा जून 1987 में प्रदान की गई तब पर्यावरणविदों द्वारा नर्मदा की परियोजनाओं के विरूद्ध सघन विरोध आरम्भ कर दिया गया था। इंदिरा सागर परियोजना की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् विश्व बैंक दल द्वारा इंदिरा सागर परियोजना का फिर से मूल्यांकन किया गया एवं अन्य बिन्दुओं के अलावा यह बताया कि सहायता हेतु अनुबंध तभी किया जावेगा जब सरदार सरोवर परियोजना से होने वाले मध्यप्रदेश के विस्थापितों का व्यवस्थापन संतोषप्रद रूप से करने की कार्यवाही गुजरात एवं मध्यप्रदेश द्वारा की जावेगी। इसके पश्चात् पर्यावरणविदों का दबाव इतना बढ़ा कि अंततः विश्व बैंक से सरदार सरोवर परियोजना के शेष सहायता न लेने का निर्णय भारत शासन द्वारा मार्च 1993 में लिया। इंदिरा सागर परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का अध्याय भी बंद हो गया।

(vi) अप्रेल 1988 में, प्राधिकरण की संरचना तथा अधिकारों में क्या परिवर्तन आवश्यक है इस पर विचार करने हेतु श्री ब्रम्ह स्वरूप, पूर्व मुख्य सचिव एवं तत्कालीन अध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। सचिव वित्त, सचिव जल संसाधन एवं सचिव नर्मदा घाटी विकास उक्त समिति के सदस्य थे। समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार परियोजनायें पूर्ण करने के लिये राज्य शासन के पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को दिये जाना उचित होगा। समिति के प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख था कि राज्य

के वरिष्ठ सचिव प्राधिकरण को स्वशासी ंगठन बनाने के पक्ष में नहीं है। समिति की रिर्पोट पर कोई निर्णय राज्य शासन द्वारा नहीं लिया गया।

(vii) दिनांक 30.09.1991 को राज्य शासन द्वारा संकल्प दिनांक 16.07.1985 में संशोधन किया गया तथा प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया :—

दिनांक 16.07.1985 के संकल्प में प्राधिकरण को दिये गये अधिकार	**दिनांक 30.09.1991 को संशोधन के अनुसार प्राधिकरण के अधिकार**
1. नर्मदा काम्पलेक्स के लिये पदों का सृजन	1. अधीक्षण यंत्री स्तर तक के पदों का सृजन।
2. राज्य शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास संबंधी नीति के अनुसार कार्य करना	2. विलोपित।
3. नर्मदा सागर काम्पलेक्स के लिये विभिन्न निर्माण कार्यों का बजट पुनर्नियोजन कराना।	3.विभिन्न कार्यों पर बजट पुनर्नियोजन।
4. नर्मदा सागर काम्पलेक्स के लिये अधिकारियों/सलाहकारों की नियुक्ति एवं अंतर्विभागीय स्थानांतर, पुनर्नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति आदि कराना।	4.सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, अंतर्विभागीय स्थानांतर इत्यादि।
5. ऐसे प्रतिबंधों को शिथिल करना (प्रशासनिक अथवा वित्तीय) जो सामान्यतः राज्य शासन द्वारा लगाये जाते है।	5. विलोपित।
6.ऐसे अन्य मसले जिन पर अंतर्विभागीय कार्यवाही होना है।	6. विलोपित।

(viii) बहुआयामी (मल्टीडिसिप्लीनरी) संगठन आवश्यक :—

वृहद जल संसाधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बांध, नहरों एवं विद्युत गृहों के साथ पर्यावरण संरक्षण, विस्थापितों का सुचारू व्यवस्थापन, सैंच्य क्षेत्र विकास, इत्यादि कार्य आवश्यक है। इन परियोजनाओं के प्लानिंग तथा निर्माण हेतु आपस में एवं अन्य विभागों जैसे — कृषि, वन, पर्यावरण, वित्त, लोक निर्माण, ऊर्जा, पुनर्वास, जल संसाधन,राजस्व, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मत्स्य विकास,नगर व ग्राम निवेश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सांख्यिकी, जनसम्पर्क, गृह, सायन्स एवं टेकनालाजी इत्यादि के साथ समन्वय आवश्यक है। भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को स्वीकृति देते समय पर्यावरण संरक्षण के कार्य तथा पुनर्वास के कार्य, निर्माण कार्य के साथ करने की शर्तें लगाई जाती हैं जिनमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, सैंच्य क्षेत्र विकास, डूब से प्रभावित

पुरातत्वीय एवं अन्य महत्वपूर्ण व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं पुर्नस्थापना, फ्लोरा एवं फोना का संरक्षण, मत्स्य संवर्धन एवं विकास, लोक स्वास्थ्य इत्यादि संबंध कार्य सम्मिलित रहतें हैं। ये सभी कार्य अनिवार्य कार्यों के श्रेणी में आते हैं तथा विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध हो या नहीं ये कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करना आवश्यक है। अतः वृहद् परियोजनाओं से जल संसाधनों के विकास करने के लिये मल्टीडिसिप्लीनरी संगठन आवश्यक है। नेशनल वाटर पालिसी (राष्ट्रीय जल नीति) में परियोजनाओं के प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के लिये मल्टी–डिसिप्लीनरी एप्रोच आवश्यक माना गया है। इस प्रकार यद्यपि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन विश्व बैंक के सुझावानुसार किया गया है तथापि यह संगठन कार्य की आवश्यकता देखते हुये प्रासंगिक है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में, वर्तमान में, जो अमला है वह विश्व बैंक के मापदण्डों के अनुसार नहीं है। प्राधिकरण के पुनर्वास प्रकोष्ठ में अतिआवश्यक कार्य हेतु ही अमला पदस्थ किया गया है। विश्व बैंक दल ने ऊर्जा निर्माण कार्यों के लिये 3 मुख्य अभियन्ता, 13 अधीक्षण यंत्री, 26 कार्यपालन यंत्री, व 52 सहायक यंत्री, की अनुशंसा की थी। वर्तमान में 1 मुख्य अभियन्ता, 2 अधीक्षण यंत्री, 6 कार्यपालन यंत्री व 11 सहायक यंत्री ही ऊर्जा प्रकोष्ठ में कार्यरत है। ऐसी स्थिति सभी प्रकोष्ठों में है। आवश्यकतानुसार अमला रखकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का वर्तमान मल्टिडिसिप्लीनरी ढांचा उपयुक्त है। प्राधिकरण का कोई स्वतंत्र केडर नहीं। यहां का अमला अन्य विभागों से ही लिया जाता है।

(**ix**) अन्तरराज्यीय सरदार सरोवर परियोजना के क्रियान्वयन के लिये तथा नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये भारत शासन द्वारा गठित विभिन्न समितियों में मध्यप्रदेश को राज्य के हितों के संरक्षण हेतु सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। उक्त विभिन्न समितियों में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :–

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण :– नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने आदेश की धारा ग्प्ट के तहत उसके निर्णयों और निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु एक तंत्र की रचना की व्यवस्था की थी। तदनुसार केन्द्र सरकार ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया। इसकी भूमिका मुख्यतः सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वय व मार्गदर्शन की होती है। इनमें पर्यावरण संरक्षण उपाय तथा पुनर्वास कार्यक्रमों सहित उन सारी शर्तों का पालन को सुनिश्चित करना भी शामिल है जो केन्द्र सरकार ने उन परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय लागू की थी। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सदस्य अभियांत्रिकी इसके सदस्य है।

(2) समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) :– केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित है जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्री के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके सदस्य है। यह समिति स्वतः या किसी भागीदार राज्य के आवेदन पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

द्वारा लिये किसी भी फेसले की समीक्षा करती है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस समिति का संयोजक है।

(3) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की उपसमितियां :– नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों से संबंधित मुद्दों जैसे – पुनर्वास, पर्यावरण एवं वन तथा ऊर्जा की समीक्षा के लिये गठित उपसमितियों में क्रमशः सदस्य पुनर्वास, सदस्य पर्यावरण एवं वन तथा सदस्य ऊर्जा सदस्य है।

(4) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति :– सदस्य अभियांत्रिकी इसके सदस्य हैं।

(5) परमानेंट स्टेडिंग कमेटी :– सदस्य अभियांत्रिकी इसके सदस्य है।

(6) सरदार सरोवर नर्मदा निर्माण निगम लिमिटेड :– अतिरिक्त मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, सरदार सरोवर नर्मदा निर्माण निगम के डायरेक्टर है।

2.4 प्राधिकरण के कर्तव्य या दायित्व :–

प्राधिकरण के अन्तर्गत मुख्यतः नर्मदा घाटी की 29 बहुउद्देशीय एवं वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण, महायोजना (मास्टर प्लान) बनाना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना तथा भारत शासन की स्वीकृतियां प्राप्त करना, बहुउद्देशीय एवं वृहद् परियोजनाओं का निर्माण एवं रख रखव के कार्यो का समावेश है। प्राधिकरण द्वारा नर्मदा घाटी की जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत एक मुश्त मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। परियोजनाओं के निर्माण के साथ पुनर्वास एवं पर्यावरण सरंक्षण के कार्य सम्पादित कराना भी प्राधिकरण का दायित्व है।

2.5 प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :–

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जो वृहद् परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है उनकी जानकारी तालिका – 1 में दी गई है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अन्तर्गत मुख्यालय में तथा मैदानी अमला एवं उनके कार्य नीचे तालिका – 2 में दिये गये है।

तालिका – 2

स.क.	मुख्यालय में अमला	मुख्य कार्य
	सदस्य अभियांत्रिकी का प्रकोष्ठ	ठेकेदारों का पंजीकरण, मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्रेषित तकनीकी एवं निविदा प्रस्तावों का परीक्षण, था अनुशंसा। अर्न्तराज्यीय सरदार सरोवर संबंधी कार्य। वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य।
	सदस्य (ऊर्जा)	ऊर्जा संबंधी कार्य।

	सदस्य (वित्त) का प्रकोष्ठ	विभिन्न परियोजनाओं के लिये बजट प्रावधान के प्रस्ताव बनाना तथा स्वीकृत बजट के अनुसार कार्यो के लिये आवंटन, लेखा संबंधित कार्य, आडिट इत्यादि।
	सदस्य (पुनर्वास)	प्रत्येक प्रस्तावित वृहद परियोजनाओं के लिये पुनर्वास का प्लान बनाना तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत भू–अर्जन एवं पुनर्वास का कार्य सम्पादित करना। तथा मुख्य अभियन्ता (लोक निर्माण) के मार्फत सरदार सरोवर परियोजना के मध्यप्रदेश में बसने वाले विस्थापितों के लिये एवं राज्य द्वारा क्रियान्वित वृहद परियोजनाओं के विस्थापितों के लिये पुनर्वास स्थलों का निर्माण करना।
	सदस्य (पर्यावरण एवं वन)	प्रत्येक प्रस्तावित वृहद् परियोजना के लिये इनवायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (इ.आय.ए.) एवं इनवायरमेन्ट मेनेजमेंट प्लान (इ.एम.पी.) का कार्य, तथा निर्माणाधीन वृहद् परियोजनाओं के लिये प्रत्येक परियोजना की भारत शासन के मंत्रालयों तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देते समय पर्यावरण संबंधी शर्तों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करना। इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वरपरियोजनाओं के विद्युत प्रभाग संयुक्त उपक्रम (एन.एच.डी.सी.) द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे है उनके पर्यावरण संबंधी कार्यो का डिपाजिट कार्य के रूप में क्रियान्वयन करना।
	मैदानी अमला	**मुख्य कार्य**
	मुख्य अभियन्ता अपर नर्मदा जोन, जबलपुर	बरगी डायवर्सन परियोजना के नहर प्रणाली का निर्माण, प्रस्तावित अटारिया वृहद् परियोजना का प्लानिंग तथा विस्तृत प्रतिवेदन बनाना एवं योजना आयोग की स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन करना।
	मुख्य अभियन्ता, रानी अवंती बाई सागर परियोजना, जबलपुर	बरगी बांध का रख रखाव बांयी तट नहर प्रणाली को पूर्ण करना तथा अपर जोन में प्रस्तावित वृहद् परियोजनाओं (अपर नर्मदा, अपर बुढनेर, हालोन, चिंकी, शेर, मच्छरेवा शक्कर एवं दूधी) परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना एवं योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करना एवं क्रियान्वयन करना।
	मुख्य अभियन्ता, इंदिरा सागर परियोजना, सनावद	इंदिरा सागर परियोजना तथा ओंकारेश्वर परियोजना की नहर प्रणाली का निर्माण एवं पुनासा लिफ्ट परियोजना के विस्तृत प्रतिवदेन को योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्रियान्वयन करना।
	मुख्य अभियन्ता, निचली नर्मदा परियोजनायें, इन्दौर	मान, जोबट एवं अपरबेदा परियोजनाओं का निर्माण तथा लोअरगोई परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्रियान्वयन करना।

	मुख्य अभियन्ता, विद्युत यांत्रिकी, भोपाल	निर्माणाधीन वृहद् परियोजनाओं के बांधो पर जलद्वार लगाने का कार्य (मान, जोबट, अपरबेदा) करना, नहर विद्युत गृहों में जलद्वारों का कार्य करना तथा पुनर्वास स्थलों पर विद्युतीकरण का कार्य करना।
	मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा), भोपाल	बरगी नहर विद्युत गृह, इंदिरा सागर नहर विद्युत गृह एवं ओंकारेश्वर नहर विद्युत गृह का निर्माण करना तथा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं (राघवपुर, रोसरा, बसानिया, गोपालपुर, हिरणपुर एवं सीतारेवा) तथा अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत प्रतिवदेन बनाना तथा उनका वाणिज्यिक रूप से क्रियान्वयन करना। सरदार सरोवर से मध्यप्रदेश को प्राप्त होने वाली विद्युत को एक मुश्त राज्य विद्युत मण्डल को बेचना।
	आयुक्त (फील्ड) पुनर्वास, इन्दौर	सरदार सरोवर के लिये भू–अर्जन एवं मध्यप्रदेश में बसने वाले विस्थापितों की व्यवस्था करना। तथा मान, जोबट, अपर बेदा परियोजनाओं के विस्थापितों की व्यवस्था करना।
	वन संरक्षक, भोपाल	सदस्य (पर्यावरण एवं वन) के अन्तर्गत कार्यो का निष्पादन करना।

2.6 प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः नर्मदा कछार के जल संसाधनों का वृहद् परियोजनाओं से विकास कर जल का सिंचाई हेतु तथा म्युनिसिपल, इण्डस्ट्रीयल आवश्यकता हेतु एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किया जावेगा। इनमें से केवल सिंचाई हेतु कृषकों को सीधे जल प्राधिकरण के अमले द्वारा उपलब्ध किया जायेगा। म्युनिसिपल व इण्डस्ट्रीयल उपयोग के लिये जल म्यूनिसिपालिटी के मार्फत तथा जल विद्युत राज्य विद्युत मण्डल के मार्फत जनता के उपयोग के लिये उपलब्ध किया जायेगा। सिंचाई हेतु जल, सिंचाई अधिनियम 1931 के अनुसार किया जायेगा। वर्तमान में निम्नांकित परियोजनाओं से सिंचाई हेतु कृषकों को जल उपलब्ध किया जा रहा है :–

1. रानी अवंती बाई सागर	71,000	3,000
2. बरगी डायवर्सन	651	600
परियोजना	**निर्मित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**	**वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)**
3. मान	15,000	1,400

वास्तविक सिंचाई बढाने हेतु जनभागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

2.7 प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा :–

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

अध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष / प्रमुख सचिव

- सदस्य (पुनर्वास)
- सदस्य (पर्या.एवं वन)
- सदस्य (अभि0)
- सदस्य (वित्त)
- सदस्य (ऊर्जा)
- सचिव
- संचालक (प्रशासन)
  - कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)
    - अधीक्षक प्रशासन शाखा
      1 स्थापना मुख्यालय
      2 स्थापना कक्ष
      3 स्थापना सामान्य
    - आहरएण एवं संवितरण अधिकारी
      1. केशियर
      2. शिकायत कक्ष
    - सहायक यंत्री न्यायालय
      - न्यायालय कक्ष
    - सहायक यंत्री स्टोर
      - भण्डार

2.7.4 प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें :–

प्राधिकरण के पास मुख्य कार्य बड़े बांधों का है। अतः बांधों के डूब एवं अन्य कार्यों के लिये भू–अर्जन आवश्यक है। शासन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि भू–अर्जन कम से कम हो तथा विस्थपितों का सुचारू रूप से पुनर्वास हो। तथापि इसमें जन सहयोग की कमी होने से तथा नर्मदा बचाव आन्दोलन जैसी संस्थाओं द्वारा कोर्ट केसेस तथा जनता को असहयोगात्मक रूख अपनाने हेतु उन्हे भडकाया जाने से कठिनाई होती है। इनके कारण अधिक समय लगता है तथा परियोजना के लागत में बढौत्री तो होती ही है जनता को मिलने वाले लाभों में अनावश्यक देरी होती है। अतः जनता से यह अपेक्षा है कि शासन को जल संसाधनों के विकास के लिये उचित सहयोग दें।

2.7.5 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि व्यवस्था :–

निम्नांकित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है :–

(1) भू–अर्जन अधिनियम – 1894
(2) सिंचाई अधिनियम – 1931
(3) म0प्र0सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम – 1999

2.8 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापितों के सुचारू पुनर्वास हेतु दो शिकायत निवारण प्राधिकरणों का गठन उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया गया है।

(1) सरदार सरोवर परियोजना से होने वाले विस्थापितों, जिन्हे मध्यप्रदेश में बसाया जायेगा, के लिये एवं
(2) इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट, अपरबेदा परियोजनाओं के लिये।

2.9 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल एवं अधीनस्थ विभिन्न रचनाओं में स्थित कार्यालयों की जिले वार सूची संलग्न है –

स. क्र.	कार्यालय का नाम	कार्या0स्तर	कार्यालय जहॉ स्थित है
1	2	3	4
1	सदस्य (अभियांत्रिकी)	प्रकोष्ठ	नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स, भोपाल
2	सदस्य (वित्त)	प्रकोष्ठ	–’–
3	सदस्य (पुनर्वास)	प्रकोष्ठ	–’–
4	सदस्य (पर्यावरण एवं वन)	प्रकोष्ठ	–’–
5	सदस्य (ऊर्जा)	प्रकोष्ठ	–’–

स. क.	कार्यालय का नाम	कार्या0स्तर	कार्यालय जहॉ स्थित है
1	2	3	4
6	संचालक (प्रशासन)	मुख्यालय	–'–
7	मुख्य अभियन्ता (वि/यॉ)	मुख्य अभि.कार्या.	–'–
8	मुख्य अभियन्ता (लोनिवि)	–'–	–'–
9	मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा)	–'–	–'–
10	वनमण्डलाधिकारी(पर्या/वन)	मण्डल कार्यालय	–'–
11	वनमण्डलाधिकारी (मानिटरिंग)	–'–	–'–
12	संयुक्त संचालक (कृषि)	–'–	–'–
13	संचालक केट	संचालक कार्यालय	–'–
14	कार्यपालन यंत्री (ऊर्जा)	संभाग कार्यालय	–'–
15	कार्यपालन यंत्री (विद्युत गारलैण्डिग)	–'–	–'–
16	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क.–23	–'–	–'–
17	वन संरक्षक (क्षतिपूर्तिवनीकरण)	वन संरक्षक कार्यालय	–'–
18	मुख्य अभियन्ता (अपर नर्मदा जोन)	मुख्य अभियंता कार्यालय	जबलपुर
19	मुख्य अभियन्ता (रानी अवंती बाई सागर परियोजना)	–'–	–'–
20	अधीक्षण यंत्री, मैदानी (नहर शाखा)	मण्डल कार्यालय	–'–
21	अधीक्षण यंत्री मैदानी (वितरण शाखा)	–'–	–'–
22	अधीक्षण यंत्री मैदानी शाखा 6	–'–	–'–
23	अधीक्षण यंत्री मैदानी	–'–	–'–
24	कार्य. यंत्री दांयी तट नहर संभाग क 1	संभाग कार्यालय	–'–
25	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क.–4	–'–	–'–
26	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क.–7	–'–	–'–
27	कार्यपालन यंत्री, गुणत्ताा नियंत्रण	–'–	–'–
28	सहा. यंत्री, बायी तट नहर संभाग क 2	–'–	–'–
29	सहा. यंत्री, बायी तट नहर संभाग क 3	–'–	–'–
30	सहा. यंत्री, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क 29	–'–	–'–
31	सहा. यंत्री, रानी अवंती बाई पुर्न.संभाग	–'–	–'–
32	कार्यपालन यंत्री, संभाग क. 8	–'–	सिहोरा जबलपुर
33	कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क 3	संभागीय कार्यालय	–'–
34	कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क 4	–'–	–'–
35	कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क 9	–'–	मैहर जबलपुर
36	कार्यपालन यंत्री, विद्युत एवं यांत्रिकी	–'–	बरगीनगर जबलपुर
37	कार्य. यंत्री, बाया मेसनरी बांध संभाग	–'–	बरगीनगर जबलपुर
38	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क. 1	–'–	पनागर जबलपुर
39	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क. 2	–'–	पनागर जबलपुर
40	कार्य.यंत्री, रा.अ.बा.सा.विद्युत गृह संभाग	–'–	बरगीनगर जबलपुर

स.क्र.	कार्यालय का नाम	कार्या0स्तर	कार्यालय जहाँ स्थित है
1	2	3	4
41	कार्य.यंत्री, रा.अ.बा. वितरण संभाग	–'–	पाटन जबलपुर
42	कार्यपालन यंत्री, न.वि. मण्डल	मण्डल कार्यालय	कटनी
43	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क्र. 5	संभागीय कार्यालय	–'–
44	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क्र. 2	–'–	मण्डला
45	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क्र. 2	–'–	डिण्डोरी
46	अधीक्षण यंत्री, रा.अ.बा.सागर.नहर	मण्डल कार्यालय	नरसिंहपुर
47	अधीक्षण यंत्री, रा.अ.ब.सा.नहर	–'–	करेली नरसिंहपुर
48	कार्यपालन यंत्री, डिस्नेट संभाग	संभागीय कार्यालय	नरसिंहपुर
49	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.नहर संभाग	–'–	नरसिंहपुर
50	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.नहर संभाग 1	–'–	गोटेगांव नरसिंहपुर
51	कार्य. यंत्री, रा.अ.बा.सा.नहर संभाग 2	–'–	–'–
52	कार्य. यंत्री, रा.अ.बा.सा.नहर संभाग 1	–'–	करेली नरसिंहपुर
53	मुख्य अभियन्ता नि.न.परि.	मुख्य अभियन्ता कार्यालय	इन्दौर
54	अतिरिक्त संचालक, पुनर्वास /अधीक्षण यंत्री न.घा.वि.प्रा स.स.परि	मण्डल कार्यालय	–'–
55	आयुक्त (पुनर्वास) फील्ड न.घा.वि.प्राधि.	आयुक्त कार्यालय	–'–
56	संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी	संभाग कार्यालय	–'–
57	कार्य. यंत्री न.वि (वि/या)संभाग क 15	–'–	–'–
58	वनमण्डलाधिकारी कावेरी क्षतिपूर्ति वनीकरण मण्डल	मण्डल कार्यालय	खण्डवा
59	अधीक्षण यंत्री न.वि.म.क 9	–'–	–'–
60	अधीक्षण यंत्री न.वि.म.क्र.12	–'–	नर्मदानगर खण्डवा
61	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क.	–'–	खण्डवा
62	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,सहायक भूमि संरक्षण	संभागीय कार्यालय	
63	कार्य. यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क 1	–'–	नर्मदानगर खण्डवा
64	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क. 11	–'–	पुनासा खण्डवा
65	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क. 28	–'–	–'–
66	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क. 25	–'–	नर्मदानगर खण्डवा
67	कार्यपालन यंत्री इन्दिरा सागर विद्युत गृह	–'–	–'–
68	वनमण्डलाधिकारी जलग्रहण क्षेत्र उपचार वन मण्डल	मण्डल कार्यालय	धार
69	अधीक्षण यंत्री न.वि.मण्डल क 10,	–'–	–'–
70	भू–अर्जन अधिकारी, मान परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	–'–
71	सहायक पुनर्वास अधिकारी बाहरी क्षेत्र	पुनर्वास कार्यालय	धरमपुरी धार
72	कार्यपालन यंत्री,लोनिवि. न.घा.वि.प्रा.इ.सा. परि संभाग क.–2	संभागीय कार्यालय	–'–

स. क्र.	कार्यालय का नाम	कार्या0स्तर	कार्यालय जहॉ स्थित है
1	2	3	4
73	पुनर्वास कार्यालय, स.स.परि. धरमपुरी ग्रामीण	पुनर्वास कार्यालय	–’–
74	कार्यपालन यंत्री,लोनिवि., न.घा.वि.प्रा.मान. जोबट संभाग	संभागीय कार्यालय	कुक्षी, धार
75	भू–अर्जन अधिकारी, स.स.परि. परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	–’–
76	पुनर्वास अधिकारी, स.स.परि.परियोजना	पुनर्वास कार्यालय	–’–
77	भू–अर्जन अधिकारी, स.स.परि. परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	मनावर, धार
78	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क्र.–30	संभागीय कार्यालय	मनावर, धार
79	भू–अर्जन अधिकारी, स.स.परि. परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	अलिराजपुर धार
80	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क्र.–16	संभागीय कार्यालय	कुक्षी, धार
81	कार्यपालन यंत्री,जोबट संभाग	संभागीय कार्यालय	नानपुर, धार
82	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क्र.–12	संभागीय कार्यालय	राजापुर, धार
83	मुख्य अभियन्ता, इ.सा.परि. नहरे सनावद	मुख्य अभियन्ता काया.	खरगोन
84	अधीक्षण यंत्री,न.वि.सं क्र.–7	मण्डल कार्यालय	खरगोन
85	अधीक्षण यंत्री,न.वि.सं क्र.–11	मण्डल कार्यालय	बड़वाहा, खरगोन
86	अधीक्षण यंत्री,न.वि.सं क्र.–1	मण्डल कार्यालय	सनावद, खरगोन
87	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क्र.–18	संभागीय कार्यालय	खरगोन
88	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क्र.–24	संभागीय कार्यालय	खरगोन
89	कार्यपालन यंत्री,न.वि.नहर संभाग	–’–	–’–
90	संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी	–’–	–’–
91	भू–अर्जन अधिकारी, स.स.परि. परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	–’–
92	पुनर्वास कार्यालय, अपर बेदा. परियोजना	पुनर्वास कार्यालय	–’–
93	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–32	संभागीय कार्यालय	बड़वाहा खरगोन
94	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–9	–’–	भीकनगांव खरगोन
95	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–19	–’–	–’–
96	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–20	–’–	मण्डलेश्वर खरगोन
97	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–8	–’–	सनावद खरगोन
98	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–10	–’–	–’–
99	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–27	–’–	–’–
100	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क्र0–21	–’–	–’–
101	कार्यपालन यंत्री,मान/जोबट गुणवत्ता नियंत्रण संभाग	–’–	–’–

स. क.	कार्यालय का नाम	कार्या0स्तर	कार्यालय जहॉ स्थित है
1	2	3	4
102	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं क0–14	–’–	–’–
103	अधीक्षण यंत्री,लोनिवि स.स.परि.	मण्डल कार्यालय	बड़वानी
104	कार्यपालन यंत्री,न.वि.वि / यॉ	संभागीय कार्यालय	–’–
105	कार्यपालन यंत्री,लोनिवि स.स.परि. संभाग	–’–	–’–
106	कार्यपालन यंत्री,न.वि.सं क022	–’–	–’–
107	कार्यपालन यंत्री,लोनिवि न.घा.वि.प्रा.स.स. परि.संभाग	–’–	–’–
108	कार्यपालन यंत्री,लो.स्वा.यॉ. न.वि.संभाग	–’–	–’–
109	भू–अर्जन अधिकारी, स.स.परि. परियोजना	भू–अर्जन कार्यालय	बडवानी
110	पुनर्वास कार्यालय,स.स.परि.	पुनर्वास कार्यालय	ठीकरी बडवानी
111	वनमण्डलाधिकारी,क्षतिपूति ानीकरण	मण्डल कार्यालय	देवास

2.10 कार्यालय खुलने का समय :– सुबह – 10.30 बजे
कार्यालय बन्द होने का समय :– संध्या – 05.30 बजे

अध्याय–3

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य

3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य

पदनाम	शक्तियॉ			कर्तव्य
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	
अध्यक्ष	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजनाओं के संबंध में नीति निर्धारण	—	—	प्राधिकरण की बैठक आमंत्रित करना एवं अध्यक्षता करना। विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना यदि
उपाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना	वित्तीय मामले की स्वीकृति प्रदान करना	—	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्षता करना
संचालक (प्रशासन)	कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना	—	—	समन्वय का कार्य प्रशासन/स्थापना संबंधी सभी कार्यो का निराकरण करना आदि
यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी	स्थापना संबंधी कार्य	—	—	समन्वय का कार्य एवं संचालक (प्रशासन) को प्रशासकीय कार्यो में सहायता करना
सदस्य (पुनर्वास)	प्राधिकरण के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में प्रभावित ग्रामवासियों का पुनर्वास से संबंधित कार्यो का संचालन	—	—	परियोजना हेतु भूमियों का अर्जन एवं मुआवजा राशि का वितरण
सदस्य (अभियांत्रिकी)	परियोजनाओं की स्वीकृति एवं परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य अभियंताओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना	—	—	परियोजनाओं से संबंधित निविदाओं का मूल्यांकन एवं प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करना
सदस्य (वित्त)	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंधित निर्धारित वित्तीय मामलों की स्वीकृति एवं महालेखाकार का लेखापरीक्षण संबंधी			

	कार्य			

अध्याय–4

4.1 कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

सक	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
1	मूल भूत नियम	नियम	शासकीय सेवा से संबंधी नियमो की जानकारी
2	वित्तीय संहिता	नियम	राज्य शासन के धन का उपयोग करने के विधि वर्णित
3	कोषालय संहिता	निर्देशिका	कोषालय के संचालन व कार्य प्रणाली की विधि वर्णित
4	म.प्र.पेंशन नियम	नियम	सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन
5	सामान्य भविष्य निधि	नियम	शासकीय सेवकों से प्राप्त किये जाने वाले मासिक अंशदान का निर्धारण व राशि के आहरण के नियम
6	म.प्र. आचरण नियम	नियम	शासकीय अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचरण से संबंधित नियम
7	नर्मदा नियंत्रण मण्डल एवं प्राधिकरण के विनियम	विनियम	नर्मदा नियंत्रण मण्डल एवं प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियों की जानकारी
8	नर्मदा नियंत्रण मण्डल के कार्य के नियम	नियम	नर्मदा नियंत्रण मण्डल के कार्य के नियमों की जानकारी
9	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन का संकल्प दिं 16.7. 85 एवं उसमें संशोधन (दिनांक 30.10.90)	अनुदेश	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन का संकल्प तथा उस में संशोधन बाबत ।
10	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन नियम)	नियम	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्य संचालन नियमों बाबत ।
11	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन के संकल्प में संशोधन (दिनांक 30.09.91)	अनुदेश	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन के संकल्प में संशोधन बाबत ।

4.1.1 नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते है ।

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात संबंधित को अभिलेखों की प्रति कार्यपालन यंत्री (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

4.1.2 नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क

शुल्क संबंधित जानकारी अध्याय–1 (पैरा 1.7) में दी गयी है।

अध्याय–5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु–

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श भागीदारी का कोई प्रावधान है । यदि है तो व्यवस्था का विवरण–

स क	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? हॉ / नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
	शून्य	नहीं	–

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कियान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से /की गई परामर्श /भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण –

स क	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? हॉ / नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
	शून्य	नहीं	–

अध्याय–6

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी ।

सक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति मे परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक / नियत्रणाधीन
1	स्थाई	विभागीय नस्तीयॉ– स्थापना मुख्यालय स्थापना सामान्य एवं सामान्य कक्ष से संबंधित विषयों की नस्तीयॉ	आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं शुल्क जमा करने पर दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा	उपाध्यक्ष
2	वार्षिक	बजट– प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष में बजट तैयार कर शासन से अनुमति प्राप्त की जाती है ।	आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं शुल्क जमा करने पर दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा	उपाध्यक्ष

अध्याय–7

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंद्ध संस्था का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता

निविदा मूल्यांकन समिति

2. संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकास यां अन्य)
समिति

3. संबंद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्धेश्य/मुख्य कृत्य)
23.12.1989, समिति सभी निविदा प्रकरणों का परिक्षण कर, अपने निष्कर्षो के साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।

4. संबंद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारणी/कार्यकारणी/अन्य)
परामर्शदात्री

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

(1) उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,भोपाल	अध्यक्ष
(2) सदस्य(वित्त), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(3) सदस्य(अभि.), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(4) सदस्य(पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(5) सदस्य(पर्या. एवं वन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(6) सदस्य(ऊर्जा), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(7) समय–समय पर प्राधिकरण में नियुक्त अन्य सदस्य	सदस्य
(8) प्रकरण से संबंधित परियोजना के मुख्य अभियंता	सदस्य
(9) सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य(सचिव)

6. मुख्य अधिकारी का नाम
उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

8. बैठक की आवृति
प्रत्येक माह में कम से कम एक बार

9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है।
न्ही

10. क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते है।
हॉ

11. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है। अगर हॉ तो प्रकिया का विवरण दें।
हॉ, शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार

<u>अध्याय–8</u>

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉ

8.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में सूचना।

लोक प्राधिकरण का नाम :– नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रशासकीय शाखा

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
1	श्री के.एल. धुर्वे,	कार्यपालन यंत्री,	0755	2526261	2761867	–	24/4 एच.आई. जी. गीतांजली कॉम्पलेक्स भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री प्रकाश ांगडे,	यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी एवं संचालक (प्रशासन)	0755	2761573	2761867	–	G-/2 152 गुलमोहर कालोनी भोपाल

विभागीय अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जे.आर.	सदस्य	0755	2526205	2677535	–	59, नर्मदा भवन अरेरा

	इंगले,	(अभियांत्रिकी)					हिल्स भोपाल

पुनर्वास प्रकोष्ठ
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री यू.एस. गुप्ता,	उप संचालक	0755	245 एक्सटेंशन	2677535	–	ई–3, गवर्नमेंट क्वार्टर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री आर.डी. साहू,	अपर संचालक (पुनर्वास)	0755	2550038	2677535	–	II-78 जानकी नगर चुना भट्टी भोपाल

विभागीय अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री रजनीश वैश,	सदस्य (पुनर्वास)	0755	2677595 (का.)	2677597	–	सी.–2/24 चार इमली भोपाल

अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जी.एल. जैन,	कार्यपालन यंत्री	0755	2677591 (का) एक्सटेंशन 281	2677535	–	एचआईजी–24/5, गीतांजली काम्पलेक्स, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री एस.के. खान	अधीक्षण यंत्री	0755	2767485(का)	2677535	–	म.नं. 100, चर्च के पीछे जहॉगीराबाद भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जे.आर. इंगले,	सदस्य (अभियांत्रिकी)	0755	2677509(का.)	2677535 2677508	–	पुनासा गेस्ट हाउस, नर्मदा भवन, भोपाल

वित्त प्रकोष्ठ
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री बी.एस. राजपूत	लेखा अधिकारी	0755	2677595 (का) 5538692 नि.	2677535	–	सी–15, एच.आई. जी. डुप्लेक्स, आयोध्या नगर भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री शमेन्द्र वर्मा,	संयुक्त संचालक	0755	2677538(का) 2764515 नि.	2677535	–	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री एस.के पॅवार, (भारतीय वन संरक्षक)	सदस्य वित्त	0755	2677506(का.) 2677556 नि.	2677535	–	गेस्ट हाउस नर्मदा भवन भोपाल,

पर्यावरण एवं वन प्रकोष्ठ
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री अमित दुबे,	डी.एफ. ओ.	0755	2558425 (का) 9425006074 मो.	2677535	–	ई–4, इंन्दिरा विहार, फारेस्ट कालोनी चार इमली भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री एस.एस. राजपूत	एस.एम.एस. वनीकरण	0755	2555245(का) 3090307 नि.	2677535	–	एचआयजी–484, ई–7, अरेरा कालोनी भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री सोनकिया	सदस्य पर्यावरण एवं वन	0755	2677504(का.) 2674205 नि.	2677535	–	डी–4 / 3, चार इमली भोपाल

मुख्य अभियंता कार्यालय
इंदिरा सागर परियोजना नहरें सनावद

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री पी.के. बागरी,	कार्यपालन यंत्री,	07280	234587 (का) 234538 नि.			जी–14 / 1 इंदिरा सागर परियोजना कालोनी सनावद

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री डी.के. स्वर्णकार	मुख्य अभियंता	07280	234608(का)	234608		ई–1 इंदिरा सागर परियोजना कालोनी इन्दौर रोड सनावद

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जे.आर. इंगले,	सदस्य अभियांत्रिकी	0755	2677509(का.) 2765795 नि.	2677535 2677508	–	पुनासा गेस्ट हाउस, नर्मदा भवन, भोपाल

मुख्य अभियंता वि./यॉ.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री आर.के. गुप्ता,	सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री का अतिरिक्त प्रभार	0755	2677591 एक्सटेंशन 291	2677535	–	एच.आई.जी. 5/1 गीतांजली काम्पलेक्स, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री बी.एस.एस. परिहार,	सेवा निवृत्त अधीक्षण यंत्री	0755	2677512 (का.)	2677535	–	32, सेन्टर, शान्ती नगर के सामने गौतम नगर भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जे.आर. इंगले,	सदस्य ऊर्जा	0755	2677513(का.) 2601450 नि.	2677535 2677508	–	ए–1, बिजली नगर कालौनी गोविन्दपुरा भोपाल

मुख्य अभियंता लो.नि.वि
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री एस.के. व्यास,	सहायक यंत्री आहरण वितरण अधिकारी	0755	2677511 कार्या.	2677535 4224593	–	रेस्ट हाऊस नर्मदा भवन एच.आई. 616 गीतांजली काम्पलेक्स भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री व्ही.के. वासनिक	मुख्य अभियंता नघाविप्रा.	0755	(का.) 2677511 नि. 2677596	2677535 4224593	–	ई. 115/6 शिवाजी नगर भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री रजनीश वैश,	सदस्य पुनर्वास	0755	2677504(का.)	2677535 2441592	–	सी 2/24 चार इमली भोपाल

मुख्य अभियंता ऊर्जा
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री एम एल अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	0755	2677593 एस्टेंशन	2677535	–	एफ–106 / 104, शिवाजीनगर भोपाल

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री ओ.पी जाधव, मुख्य अभियंता,	मुख्य अभियंता नघाविप्रा.	0755	2677501 कार्य.	2677535	–	ईएन / 23, चार इमली भोपाल

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री जे.आर. इंगले,	सदस्य अभियांत्रिकी (ऊर्जा)	0755	2677509(का.) 2765795 नि.	2677535 2677508	–	पुनासा गेस्ट हाउस, नर्मदा भवन, भोपाल

आयुक्त पुनर्वास फील्ड,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई. मेल	पता
1	श्री आर.एस. जायसवाल	सहायक परियोजना अधिकारी	0731	2574657 कार्या. 9993390816	277894 2556931	–	770 सुदामा नगर इन्दौर

लोक सूचना अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
1	श्री एस.एल. चौहान,,	अपर संचालक	0731	2551215 कार्य.	2556931	Chouhan1407 @gmail.com	ई–1/3 नर्मदा कालोनी स्कीम न. 78 इन्दौर

प्रथम अपीलेट अधिकारी –

स. क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
1	श्रीमती रेणु पन्त,	आयुक्त पुनर्वास फील्ड नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर	0731	2874612 नि. 2701770	277894 2556931	nvda nd@gmail .com	ई–1/1 रेडियो कालोनी इन्दौर

अध्याय–9

निर्णय लेने की प्रकिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने की प्रकिया :–

प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लेखित विषय वस्तु से संबंधित उपलब्ध नियम, अधिनियम, प्रशासकीय आदेश के प्रावधान अनुसार समग्र परीक्षण कर मुख्य अभियनता, प्रशासन/उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकस प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

9.2 **किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रकिया क्या है, अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है ।**

किसी विशेष विषय पर निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाता है तथा निर्णय की सूचना सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है ।

9.3 **लिये गये निर्णय को जनता तक पहूँचाने के लिये क्या व्यवस्था है ।**

प्राधिकरण की बैठक मे लिये गये निर्णय मुख्यतः निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित है। इस कारण जनता को नहीं दिये जाते है ।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है।

1. प्रशासन शाखा से संबंधित	–	कार्यपालन यंत्री प्रशासन एवं संचालक प्रशासन
2. वित्तीय प्रकरण	–	लेखाधिकारी, संयुक्त संचालक, वित्त एवं सदस्य वित्त
3. तकनीकी प्रकरण	–	कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं सदस्य अभियांत्रिकी

9.5 अंतिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकारित अधिकारी :–
उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण

(1) एक्शन प्लान की स्वीकृति
(2) ठेकेदारों का पंजीकरण
(3) निविदाओं की स्वीकृति
(4) अधीक्षण यंत्री स्तर तक के पद निर्माण की स्वीकृति
(5) संविदा नियुक्ति की स्वीकृति
(6) रिएप्रोप्रियेशन की स्वीकृति

अध्याय–10

10.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है –

अध्याय–11

11.1 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

अध्याय–12

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिये

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना ।

वर्ष–2012–2013

सक्र.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किश्तों में	कुल व्यय
1.	48–4801–80–800–3561– स्थापना मुख्यालय	लाख	लाख	लाख	लाख

अध्याय–13

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति

13.1 लोक प्राधिकरण के अधीन अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की जानकारी ·

–––––निरंक––––––

अध्याय–14

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 रियायतों,अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी ।

––––निरंक –––––

अध्याय–15

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न किया कलापो/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/ नियमों का कार्यक्रमवार विवरण ।

प्रत्येक प्रकरणों का संपादन संबंधित नियमों /राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निदेशों के तहत किया जाता है ।

अध्याय–16

इलेक्ट्रानिक रूप मे उपलब्ध सूचनाएं

16.1 इलेक्ट्रानिक रूप मे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बेवसाईट www.nvda.nic.in पर उपलब्ध है ।

अध्याय–17

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहूँचाने के लिये विभाग/ संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण :–

- पुस्तकालय – उपलब्ध है ।
- नाटक/नुक्कड – नहीं
- अखबारों के द्वारा – हॉ
- प्रदर्शनी – नहीं
- सूचना पटल – उपलबध है ।
- अभिलेखों का निरिक्षण – उपलब्ध है ।
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यस्था – आवेदन एवं वांछित शुल्क जमाकर दस्तावेजो की प्रति प्राप्त की जा सकती है
- उपलब्ध विभागीय मैन्युअल – वर्कस मैन्युअल, फारेस्ट मैन्युअल, कृषि मैन्युअल
- लोक प्राधिकरण की बेबसाईट – www.nvda.nic.in
- अन्य प्रचार प्रसार के साधन – नहीं

अध्याय–18

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

18.1 लोक प्राधिकरण से जन मानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।

जन मानस द्वारा आमतौर पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अंतर्गत रचनाओं से संबंधित जानकारी पूछी जाती है ।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में :–

1. आवेदन पत्र	निर्धारित आवेदन पत्र, पैरा 1.7 के प्रपत्र एक अनुसार।
2. शुल्क	भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21.6.2005 में प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बिन्दु क्र.–27 (2) (ए) (बी) के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दर अनुसार शूल्क देय होगा। जिसका संक्षिप्त विवरण अध्याय–1 (पैरा 1.7) में दिया गया है।
3. सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मॉगी जाये	सहायक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर ।
4. सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	अपीलेट अधिकारी को आवेदन के माध्यम से

सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इस संबंध में अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया अनुसार आवेदन शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में प्रावधानित जानकारियों को छोडकर कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । यदि अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रावधानों अनुरूप जानकारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा न दी जावे, तो अपीलेट अधिकारी को अपील किये जाने का प्रावधान है ।

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में –

–––जानकारी निरंक है । ––––––

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते है ।

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबध में ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (प्रशासन) शाखा में किसी प्रकार का पंजीयन नहीं किया जाता है। प्राधिकरण के अन्तर्गत चलायी जा रही परियोजनाओं के ठेकों से संबंधित पंजीयन सदस्य (अभियांत्रिकी) प्रकोष्ठ में किये जाते है।

18.6 टैक्स आदि लेने के संबंध में :–

––निरंक ––

18.7 बिजली/पानी के कनेक्शन के संबंध में :–

––निरंक ––

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण ।

–––––जानकारी निरंक है । –––––––